न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –89/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/125

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
युसुफ खां पुत्र करीम खां आयु 35 वर्ष जाति कायमखानी निवासी दुकोसी तहसील व जिला नागौर।		1. सदीक खां पुत्र आजू खां जाति कायमखानी निवासी दुकोसी तहसील व जिला नागौर। 2. महबूब खां पुत्र आजू खा जाति कायमखानी निवासी दुकोसी तहसील व जिला नागौर। 3. दीने खां पुत्र आजू खां जाति कायमखानी निवासी दुकोसी तहसील व जिला नागौर। 4. जरीबन पुत्री आजू खां पत्नि मुंशी खां जाति कायमखानी निवासी पॉवर हाउस के पास, कुचेरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 5. सईदन पुत्री आजू खां पत्नि इकबाल जाति कायमखानी निवासी पॉवर हाउस के पास, कुचेरा तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 6. मूमल पुत्री आजू खां पत्नि सदीक जाति कायमखानी निवासी मगरा बास, मोहम्मदपुरा तहसील व जिला नागौर। 7. तहसीलदार नागौर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2,3 व 6 की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास, अप्रार्थी संख्या–7 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश दिनांक : 02/05/2022

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत ग्राम राजुवास तहसील नागौर के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 368 जो तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 23.05.2013 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। इसी दरम्यिान राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पुनिया द्वारा आवेदन पत्र बाबत सुनवाई क्षेत्राधिकार दिनांक 11.10.21 एवं 28.10.2021 प्रस्तुत किया अपीलान्ट द्वारा दिनांक 15.11.2012 को उक्त आवेदन का जबाब प्रस्तुत किया गया।

राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र बाबत सुनवाई क्षेत्राधिकार दिनांक 11.10.21 एवं 28.10.2021 पर वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम राजुवास तहसील नागौर के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 368 जो तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 23.05.2013 को स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा में पेश की है। प्रकरण में ग्राम राजूवास तहसील नागौर के खसरा नम्बर 85 की भूमि के संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 46/2011 आजु खां बनाम सहजादी बानों दर्ज कर गोदनामा के बारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.04.11 से आपत्ति आमंत्रित की गई एवं दो गवाह अनुखां पुत्र समन खां, फरीद खां पुत्र जीतूखां निवासीगण दुकोसी तहसील व जिला नागौर के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर दिनांक 16.05.2013 को निर्णय पारित कर ग्राम राजूवास के खसरा नम्बर 84 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 रकबा 29 बीघा 08 बिस्वा एकल खाता व खसरा नम्बर 45 रकबा 32 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 69 बीघा 02 बिस्वा कुल 2 रकबा 101 बीघा 10 बिस्वा में दर्ज सहजादी के 1/2 हि0 के स्थान पर आजू खां पुत्र करीम खां गोद पुत्र सहजादी पत्नी रसीद खां कौम कायमखानी नि. दुकोसी के नाम जरिये ना0क0 दर्ज करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात तहसीलदार नागौर द्वारा पत्र दिनांक 17.05.13 से पटवारी मानासर को निर्णय दिनांक 16.05.2013 की प्रति प्रेषित कर निर्णयानुसार रेकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश दिया गया और उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार नागौर प्रकरण में नामान्तकरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर, उक्त संबंध में सार्वजनिक सूचना से आपत्ति आंमत्रित कर गवाहान के बयान के आधार पर नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किया है, जो नामान्तकरण विवादित होने से न्यायालय हाजा को हस्तगत नामान्तकरण अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 135(2) के तहत कार्यवाही कर नामान्तरकरण के संबंध में पारित आदेश की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील की प्रथम अपील राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75(च) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है, ऐसे धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है, परन्तु अपीलान्ट ने जानबूझ कर गलत रूप यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जो खारिज करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 परन्तुक (33) पेज 49–50 की प्रति प्रस्तुत की।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2,3 व 6 की ओर से बहस में राजपैरोकार द्वारा बहस में किये गये कथनों से सहमति व्यक्त करते हुए धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है। वकील श्री श्यामकुमार व्यास ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2002(2) पेज 872–875 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

वकील अपीलान्ट श्री कन्हैयालाल सुथार ने राजपैरोकार व वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्याम कुमार व्यास की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी आजु खां द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 23.03.2011 को अर्जी पेश की थी, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में स्वंय को हाजी रसीद खां(फौत) के गोद गया होना तथा माता शहजादी बानों के फौत होने से खसरा नम्बर 84, 85 मौजा राजुवास का म्यूटेशन नम्बर 368 उनके नाम भरने का कथन पूर्णरूप से गलत विधि विरूद्ध किया। उक्त गलत आवेदन पत्र पर तहसीलदार जी ने अन्तर्गत धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 46/2011 आजु खां बनाम शहजादी बानों दर्ज करने में कानूनी गलती की थी।

प्रार्थी आजु खां खुद ने शहजादी बानों के निधन होने का उल्लेख अपनी अर्जी में किया था तो मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करना कानूनी रूप से गलत था। प्रकरण का मरे हुए व्यक्ति को पक्षकार बनाकर विवादित बताने का प्रयास कर धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट का उल्लेख कर देने से प्रकरण विवादित होना नहीं माना जा सकता है।

गोदनामा के बारे में सार्वजनिक आपत्तियां मांगने का उल्लेख किया है वह पूर्ण रूप से गलत है। हालांकि अपीलार्थी व अन्य पक्षकार गांव की ढाणियों में निवास करते है उनके कोई अखबार नहीं आता एवं कोई पक्षकार अखबार पढ़ता नहीं। वक[illegible] की कार्यवाही अपीलान्ट देश से ही बाहर गया हुआ था। इस वजह से अखबार में सा[illegible]ति प्रभावहीन विधि विरूद्ध है। संबंधित पक्षकारों को जो वादग्रस्त खेतों पर काबिज थे व स्व[illegible]द खां के भाईयों व उनके वारिसान को नोटिस दिया जाना वांछित था। ऐसा तहसीलदार[illegible] को नोटिस नहीं देना प्रकट करता है कि तहसीलदार जी ने पक्षपात[illegible] अपील की कार्यवाही की है। गोदनामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

बाबत आपति आहूत करना एवं विधि विरूद्ध गोदनामा के बाबत आपति नहीं आने से इसे विधि सम्मत नहीं बनाता है।

गोदनामा की वैधता अवैधता देखना दिवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। ऐसी दशा में तहसीलदार जी ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गोदनामा की वैधता बाबत आपतियां नहीं आने पर गोदनामा को वैध मानकर आजु खां को शहजादी बानों का गोद पुत्र होने की फाईडिंग देकर म्यूटेशन जैर अपील भरने का आदेश देकर म्यूटेशन भरा जो गलत व विधि विरूद्ध है।

हस्तगत प्रकरण धारा 135(2) आर.एल.आर. एक्ट के तहत हो यह गलत है। यह भी गलत है कि तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही म्यूटेशन के संबंध में पारित आदेश की अपील राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 75(च) में संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान हो। यह गलत है कि तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) आर.एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर म्यूटेशन के संबंध में आदेश जैर अपील की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

म्यूटेशन आदेश व म्यूटेशन जैर अपील धारा 135(2) में नहीं आता है। मात्र धारा लिख देने से प्रकरण उस धारा के तहत नहीं माना जा सकता है। गलत धारा गलती से या भूल से लिखी जा सकती है, ऐसी गलती या भूल से या जानबूझ कर भी कोई गलत धारा लिख देने से न तो क्षेत्राधिकार समाप्त होता है न ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है।

तहसीलदार जी के समक्ष म्यूटेशन आदेश व म्यूटेशन विवादित नहीं था। आजू खां की अर्जी का कोई जबाब पेश नहीं हुआ और न कोई विरोध पेश हुआ ऐसी दशा में वह विवादित रहा ही नहीं था। इस वजह से धारा 135(2) आर.एल.आर.एक्ट गलत व विधि विरूद्ध लिखी हुई है।

गलत धारा लिख देने से प्रकरण की प्रकृति नहीं बदलती है। प्रकरण की प्रकृति के अनुसार धारा व कानून के उपबंध लागू होते है। ऐसी दशा में म्युटेशन व म्यूटेशन जैर अपील अदालत मातहत के समक्ष विवादित नहीं रहा एवं धारा 135(1) आर.एल.आर. एक्ट के तहत की हुई कार्यवाही है एवं आदेश व म्यूटेशन जैर अपील धारा 135(1) आर.एल.आर. एक्ट में किये हुए है।

रेस्पोडेन्ट की आपति है कि अपील हाजा धारा 75(च) में होनी चाहिए जबकि धारा 75(च) आर.टी. एक्ट में आदेश लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर का होने पर इस आदेश की अपील डायरेक्टर लेण्ड रिकार्ड के समक्ष होती है।

इस प्रकरण में आदेश तहसीलदार का है, जो लेण्ड रिकार्ड आफिसर नहीं है। लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर की परिभाषा धारा 3(1)(i) आर.एल.आर.एक्ट में दी हुई है, जिसमें कलक्टर से अभिप्राय है, जिसमें अतिरिक्त एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी भी सम्मिलित है। इस परिभाषा में तहसीलदार नहीं है। तहसीलदार मात्र मातहत अधिकारी या मातहत कोर्ट है। ऐसी दशा में अपील धारा 75(d) आर.एल.आर.एक्ट में जिला कलक्टर को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर होने से यह अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी–14.3.2018 पेज 175–179, आर.आर.टी. 2012(1) पेज–97–101, आर.आर.टी. 2016–2017(Supp.) न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम राजूवास तहसील नागौर के खसरा नम्बर 84 व 85 की भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 46/2011 आजु खां बनाम सहजादी बानों दर्ज कर गोदनामा के बारे में सार्वजनिक सूचना दिनांक 19.04.11 से आपत्ति आमंत्रित की गई एवं दो गवाहान के बयानों आदि के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर दिनांक 16.05.2013 को निर्णय पारित कर ग्राम [illegible] 84 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 रकबा 29 [illegible] बिस्वा एकल खाता व खसरा नम्बर 45 रकबा 32 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 69 [illegible] बिस्वा कुल 2 रकबा 101 बीघा 10 बिस्वा में दर्ज सहजादी के 1/2 हि[illegible] खां गोद पुत्र सहजादी पत्नी रसीद खां कौम कायमखानी नि. दु[illegible]0 दर्ज करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पत्रांक–भू.अ./2013/3173 दिनांक 17.05.13 से पटवारी मानासर को निर्णय दिनांक 16.05.2013 की प्रति प्रेषित कर निर्णयानुसार रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अमलदरामद करने का आदेश दिया गया और उक्त आदेश की पालना में नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण में नामान्तकरण के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू—राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर, उक्त संबंध में सार्वजनिक सूचना से आपत्ति आंमत्रित कर गवाहान के बयान के आधार पर नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किया है, जो नामान्तकरण विवादित होने से न्यायालय हाजा को हस्तगत नामान्तकरण अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 135(2) के तहत कार्यवाही कर नामान्तरकरण के संबंध में पारित आदेश की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील की प्रथम अपील राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75(च) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर धारा 135(2) राज0 भू—राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.10.21 एवं 28.10.2021 आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते है। वकील अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार मूल अपील लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:38 IST
Reason: SelfAttested